

## राजस्थान सरकार

## निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर

क्रमांक : लेखा बजट/विविध/2019-20/1203-1350

दिनांक - 25-06-2019

सायुक्त निदेशक जोन,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
जयपुर/अजमेर/उदयपुर/  
भरतपुर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा ।

विषय विशेष उद्देश्य(योजनाओ) के लिए खोले गये बैंक खातों में सो डोरमेंट बैंक खातों की सूचना भिजवाने बाबत।

संदर्भ वित्त (बजट) विभाग की अर्द्धशासकीय टीप दिनांक 12.04.2019 व परिपत्र क्रमांक प21 (1) विमा/2018/ दिनांक 14.06.2019, एवं दिनांक 28.05.2019।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं सदरित अर्द्धशासकीय टीप एवं परिपत्र के माध्यम से विशेष उद्देश्य(योजनाओ) में राज्य सरकार द्वारा जारी सीड मनी एवं रिवालविंग फण्ड हेतु बैंक खातों खुले हुए हैं। जिनमें से डोरमेंट हो चुके बैंक खातों में राशि अवशेष है, को राजकोष में जमा करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय व अधीनस्थ कार्यालयों में संचालित विभिन्न योजनाओ हेतु खोले गये बैंक खातों में सो डोरमेंट बैंक खातों में जो राशि अवशेष है, को संबंधित राजकोष में जमा करवाते हुए इस पत्र प्राप्ति के 3 दिवस में आपके कार्यालय व अधीनस्थ कार्यालयों की उक्त बांछित सूचना निम्नलिखित प्रपत्र में इकजाई(Consolidated) कर वित्तीय सलाहकार,(जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर को आवश्यक रूप से भिजवाये, ताकि प्राप्ति सूचनाओं का संचालित किया जाकर वित्त विभाग को समय पर भिजवाया जा सके।

क्रमांक	कार्यालय आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम	कुल बैंक खातों की संख्या	Dormant (Inoperative Bank) खातों की संख्या एवं विवरण	डोरमेंट बैंक खातों में दिनांक 31.03.2019 को 1% राशि

नोट - उक्त सूचना गैल आई डी-famh-rj@nic.in पर भिजवाये।

(डॉ वी के माथुर)

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), वित्त (मार्गोपाय) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. सामस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
4. सामस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
5. सामस्त कार्यक्रम अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें निदेशालय।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि स्वास्थ्य भवन में संचालित/चलू परियोजनाओं के विशेष उद्देश्य के लिए खोले गये बैंक खातों में डोरमेंट हो चुके बैंक खातों में राशि अवशेष है, को राजकोष में जमा करवा कर इकजाई सूचना उक्त वर्णित प्रपत्र में इस पत्र प्राप्ति के 3 दिवस में आवश्यक रूप से भिजवाये।
7. सामस्त क्षय रोग अधिकारी, टी0 बी0 सी0 क्लीनिक।
8. सामस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभासी।
9. प्रभासी अधिकारी सर्वर रूम, इस पत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाये।

(डॉ वी के माथुर)

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर